पटना में दिनांक—18 फरवरी, 2020 मंगलवार को अपराह्न 04:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये:—

पंचायती राज विभाग

1.	त्रिस्तरीय पंचायतों/ग्राम कचहरी के रिक्त पदों पर उप चुनाव के लिए दिनांक—18.03.2020 को मतदान सम्पन्न कराने एवं इस हेतु दिनांक—19.02.2020 को अधिसूचना निर्गत करने के संबंध में।	1.	स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

2.	प्रसिद्ध क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रखर वक्ता स्व० राम विलास शर्मा की जयंती (प्रत्येक वर्ष 22 फरवरी) को राजकीय समारोह के रूप में मनाये जाने के संबंध में।	2.	स्वीकृत।

वित्त विभाग

3.	सी०डब्लू०जे०सी० संख्या—1370/2016 भगवान शरण एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक— 27.02.2019 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में दिनांक—01.01.1996 से अचिकित्सा सहायक का वेतनमान ₹4500—7000/— स्वीकृत करने के संबंध में।	3.	स्वीकृत।

वित्त विभाग

4.	राज्य सरकार के कर्मियों एवं बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के मासिक वेतन से विभिन्न अग्रिमों यथा—गृह निर्माण अग्रिम, मोटरसाईकिल अग्रिम, मोटरकार अग्रिम एवं कम्प्यूटर अग्रिम की CFMS प्रणाली के अंतर्गत मासिक किस्तों की कटौती नहीं किये जाने के संबंध में।	4.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

6.	श्री ओम प्रकाश, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 492/11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सासाराम सम्प्रति निलंबित को अनिवार्य सेवा निवृत्ति का दंड दिये जाने के संबंध में।	6.	स्वीकृत।

वित्त विभाग

9.	नयी अंशदायी पेंशन योजना (NPS) के अंतर्गत विलंबित फंड अंतरण पर भविष्य निधि पर देय दर से ब्याज भुगतान के संबंध में।	9.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

10. डा० राज कुमार ठाकुर, होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कबीराधाप (सलखुआ), सहरसा को दिनांक 24.11.2012 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — **10. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

11. डा० अनिल कुमार सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, पूर्णियां सम्प्रति अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हफनियाँ, अमौर, पूर्णियाँ को दिनांक 20.04.2001 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — **11. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

12. डा० अशोक कुमार सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पैक टोला, अररिया को दिनांक 24.05.2005 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — **12. स्वीकृत।**

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

13. बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना" के अंतर्गत दरभंगा जिला के केवटी प्रखण्ड में 560 (पाँच सौ साठ) आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण (5 वर्षों के रख–रखाव सहित) हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दर पर तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की राशि ₹5699.38 लाख (रूपये छप्पन करोड़ निन्यानवे लाख अड़तीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। — **13. स्वीकृत।**

पर्यटन विभाग

14. कम्युनिटी हॉल, मालसलामी, पटना सिटी के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि 88,44,00,000/–(अठासी करोड़ चौवालिस लाख) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। — **14. स्वीकृत।**